उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-21/2021/एस-2-349/दस-2021-88क(1)/2018
लखनऊ :: दिनॉक: 05 मार्च, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2	श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अपर निदेशक (वित्त), न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।	वरिष्ठ वित्त सलाहकार, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, उ0प्र0 लखनऊ।
3	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त नियंत्रक, पशुपालन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, (एन0आर0एच0एम0), लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-21/2021-एस-2-349(1)/दस-2021,तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/न्याय/महिला कल्याण/पशुधन /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
3- निदेशक, पशुपालन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष, लखनऊ।
5- मिशन निदेशक, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, (एन0आर0एच0एम0), लखनऊ।
6- कुल सचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
9- मुख्य कोषाधिकारी, (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन), लखनऊ/वाराणसी ।
10- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।